Single Tender Basis, at a price higher than that fixed by DGS&D;

(b) whether an item for which TDC & DGS&D have established/or approved several sources, could still be treated as a proprietary item and be procured on Single Tender Basis; and

(c) whether any item could be procured by Fertilizer Factories from sources, who are neither a manufacturer nor an authorised distributor, ignoring the offers of TDC/DGS&D approved sources?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) to (c) It is not obligatory for public sector fertilizer manufacturing companies to make purchases through DGS&D. The purchase policy followed by DGS&D would be applicable in the case of public sector undertakings to the extent purchases are made through DGS&D.

Declaration of Ladakh as scheduled Tribe Area

952. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister had some months back assured a delegation that steps were being taken to declare the Ladakh region of Jammu and Kashmir, a Scheduled Tribe Area; and

(b) whether the Ladakhis will be given a Scheduled Tribe Status?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI SUMATI ORAON): (a) and (b) Census and survey have been undertaken by the Registrar General of India and no decision or assurance can be given till the report of the survey is received.

विदेशों में निर्माण कार्य में लगी कम्पनियों द्वारा की गयी धांधली

953. **श्री राम नरेश यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जनवरी, 1988 को कुछ सांसदों और कुछ पूर्व सांसदों ने प्रधान मंत्री को पत्र लिख कर विदेशों में निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा की जा रही धांधली की जांच कराने की मांग की थी और क्या कोई जांच की गयी थी यदि हां, तो यह जांच किस एजेंसी द्वारा की गयी और उसका क्या परिणाम निकला, और

(ख) क्या यह सच है कि इस जांच के दौरान कुछ भारतीय एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों के विरुद्ध अनेक आरोप प्रमाणित हुए थे, यदि हां, तो इनमें अंतर्ग्रस्त ऐसी कम्पनियों और लोगों के नाम और पते क्या क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री हुकम देव नारायण यादव से प्रधान मंत्री को सम्बोधित दिनांक 7-1-1988 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह शिकायत की गई थी कि निर्माण कम्पनियां उत्प्रवासियों से पैसा ले रही हैं। श्री यादव ने विशिष्ट ब्यौरे नहीं भेजे, इसलिए कोई जांच नहीं की जा सकी।

बोनस और भविष्य निधि का भुगतान

954. **श्री राम नरेश यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कई कम्पनियों पर मजदूरों का बोनस और उनकी भविष्य निधि की राशि बकाया है; यदि हां, तो विदेशों में निर्माण कार्य में लगी किस-किस कम्पनी पर कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया है और इन बकाया राशियों के भुगतान के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर यथा समय रख दी जाएगी।